कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मध्य प्रदेश भोपाल.

क्रमांक –78 /मोनि./प्र.अ./लोस्वायावि/09 भोपाल, दिनांक – 22.5.09

प्रति,

मुख्य अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र– भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर.

समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मध्यप्रदेश

समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड,
मध्यप्रदेश

विषयः– पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिये गये निर्देशों पर कार्यवाही – परख वीडियो कॉन्फ्रैन्सिंग दिनांक 21.5.09

पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये हैं जिनकी प्रति संलग्न है। इन्हें विभागीय वैबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है, दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन तत्काल सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(सुधीर सक्सेना)
प्रमुख अभियन्ता,

पृ.क्रमांक /मोनि./प्र.अ./लोस्वायावि/09 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल सूचनार्थ अग्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा 'परख' वीडियो कॉन्फ्रैन्सिंग में दिनांक 21.05.2009 को दिये गये निर्देश
(लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग)

1. सुनिश्चित किया जावे कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए पेयजल की आवश्यक एवं पर्याप्त व्यवस्था हो। कहीं भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।
2. हैण्डपम्प खराब होने की स्थिति में उसे तत्काल सुधारा जावे।
3. स्थानीय आवश्यकतानुसार हैण्डपम्प में पाईप बढ़ाकर, सिंगल फेस की मोटर लगाकर अथवा निजी बोरिंग का अधिग्रहण कर पेयजल वितरण सुनिश्चित किया जावे।
4. जहां अन्य उपाय कारगर साबित ना हो, वहां पेयजल परिवहन के माध्यम से जल वितरण किया जावे।
5. विद्युत के अभाव में कोई भी पेयजल योजना अकार्यशील न रहें। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ऊर्जा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करें।
6. हैण्डपंप शिकायतों के निराकरण की प्रभावी व्यवस्था की जावे। जानकारी प्राप्त हुई है कि एक ग्राम में 4 हैण्डपंप हैं, जिनमें एक–एक करके चारों खराब हो गये। प्रथम हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत 3 माह पहले हुई किन्तु आज दिनांक उनमें सुधार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति किसी भी जिले में उत्पन्न नहीं होना चाहिए।